न्यायालय जिला कलेक्टर, सवाई माधोपुर

प्रा.पत्र मुत.(मुन्तकली) संख्या– 22/23

आरसीएमएस संख्या 2023/166 सन् 2023

बउनवानी :–1. रामजीलाल पुत्र स्व0 श्री रामनाथा जाति माली,
2. हंसराज पुत्र स्व0 श्री रामनाथा जाति माली,
3. प्रकाश पुत्र स्व0 श्री रामनाथा जाति माली
4. राजाराम पुत्र स्व0 श्री किशन गोपाल जाति माली,
5. रमेश पुत्र स्व0 श्री किशन गोपाल जाति माली
6. कालू पुत्र स्व0 रूगनाथ जाति माली, समस्त निवासी सूरवाल तह0 सवाईमाधोपुर

बनाम

1. रामफूल पुत्र श्री धन्ना जाति मीना निवासी सूरवाल तह0 सवाईमाधोपुर
2. हरिचन्द पुत्र स्व0 श्री गोपी मीना निवासी सूरवाल तह0 सवाईमाधोपुर
3. चिरंजी पुत्र स्व0 श्री कन्हैयालाल मीना, निवासी सूरवाल तह0 सवाईमाधोपुर
4. गोविन्द पुत्र स्व0 श्री कन्हैयालाल मीना, निवासी सूरवाल तह0 सवाईमाधोपुर
5. छोटया पुत्र स्व0 श्री कन्हैयालाल मीना, निवासी सूरवाल तह0 सवाईमाधोपुर
6. फूलचन्द पुत्र स्व0 श्री सीताराम माली निवासी सूरवाल तह0 सवाईमाधोपुर
7. जगदीश पुत्र स्व0 श्री सीताराम माली, निवासी सूरवाल तह0 सवाईमाधोपुर

(मुन्तकली प्रार्थना पत्र विरूद्ध न्यायालय सहायक कलेक्टर सवाईमाधोपुर मे जैरकार राजस्व वाद संख्या 2/2015 व प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा संख्या 3/2015 उनवानी रामजीलाल बनाम रामफूल अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955)

उपस्थितः 1. श्री बच्चू सिंह जाट वकील प्रार्थी

–: निर्णय :– दिनांक **27.3.2025**

वकील प्रार्थी ने न्यायाालय सहायक कलेक्टर सवाईमाधोपुर में विचाराधीन राजस्व वाद संख्या 2/2015 व प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा संख्या 3/2015 उनवानी रामजीलाल बनाम रामफूल अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त प्रकरण को दीगर न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने बाबत इस्तदुआ की है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अदालत मातहत से प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों के सम्बन्ध में टिप्पणी तलब की गयी साथ ही सम्बन्धित विपक्षीगणों की सुनवायी हेतु तलबी जरिये नोटिस की गयी। अप्रार्थी बावजूद नोटिस तामील न्यायालय मे उपस्थित नही हुऐ।

तत्पश्चात् बहस वकील प्रार्थी सुनी गयी।

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना में उल्लेखित तथ्यों की और ध्यान आकर्षित कर कथन किया है कि वादी का वाद पत्र मय प्रार्थना अस्थायी निषेधाज्ञा सहायक कलेक्टर मु0 सवाईमाधोपुर के न्यायालय मे दिनांक 3.3.2015 को पेश किया गया था जो आज तक विचाराधीन है। उक्त प्रकरण मे प्रतिवादीगणों की तामील हो चुकी है और जवाब दावा भी पेश हो गया है तथा पत्रावली लगातार साक्ष्य वादी मे चल रही है। यह तर्क भी दिया कि वर्ष 2015 के बाद पत्रावली में किसी प्रकार की कार्यवाही आगे नही बढी है ओर ना ही भविष्य में आगे बढने की सम्भावना है। प्रतिवादीगण हम प्रार्थीगणो को शांति से काश्त नही करने दे रहे है बार–बार लडाई झगडा, गाली गलोच होता आ रहा है जो आज भी जारी है इस कारण पत्रावली को दावा/टी.आई, सहायक कलेक्टर से उप जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के न्यायालय में ट्रान्सफर करने से प्रार्थी को शीघ्र न्याय प्राप्त होगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2025.06.25 18:09:06 IST
Reason: SelfAttested

(मुन्तकिली प्रार्थना पत्र संख्या 22/2023 उनवानी रामजीलाल बनाम रामफूल वगै)

पत्रावली ट्रान्सफर नही होने से मौके पर विवाद बढता जा रहा है एवं मरने मारने की नौबत आने से थानाधिकारी द्वारा पक्षकारान को शांति बनाये रखने हेतु पाबंद किया गया है। इसलिए प्रार्थी का मुन्तकिली प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अधीनस्थ न्यायालय मे जैरकार उक्त वाद संख्या 2/2015 व प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा संख्या 3/2015 उनवानी रामजीलाल बनाम रामफूल को उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के न्यायालय मे मुन्तकिल किये जाने बाबत वकील प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया।

अप्रार्थीगण बावजूद तामील नोटिस न्यायालय मे उपस्थित नही हुऐ ओर ना ही उनकी ओर से कोई पक्ष न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। उक्त संबंध मे सहायक कलेक्टर मुख्यालय सवाईमाधोपुर से टिप्पणी प्राप्त की गयी जिसमे अंकित किया है कि पत्रावली मे नियमित सुनवायी के दौरान प्रार्थीगण एवं प्रार्थीगण के अधिवक्ता अनुपस्थित रहने पर प्रार्थना पत्र दिनांक 29.5.2018 को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जा चुका है जिसके संबंध में प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 22.11.2018 को बाजदायरी प्रार्थना पत्र पेश करने पर दिनांक 21.1.2020 को पुनः नम्बर पर लिया जा चुका है। सहायक कलेक्टर मु0 सवाईमाधोपुर के पास अन्य विभागो का अतिरिक्त चार्ज होने के कारण राजस्व प्रकरणों मे नियमित सुनवायी मे विलम्ब हो रहा है। यदि माननीय न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण को उपजिला कलेक्टर न्यायालय सवाईमाधोपुर मे स्थानान्तरण किया जाता है तो सहायक कलेक्टर न्यायालय को कोई आपत्ति नही है।

वकील उभयपक्षों की और से प्रस्तुत तर्कों को सुनने के पश्चात् सम्बन्धित पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है, कि प्रार्थी द्वारा न्यायालय सहायक कलेक्टर सवाईमाधोपुर के पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त होने के कारण नियमित सुनवायी नही से प्रकरण 2015 से सहायक कलेक्टर मु0 सवाईमाधोपुर के न्यायालय मे विचाराधीन होने बाबत किये गये कथन से हम सहमत है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात यथा अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी का पद अधिकांश समय रिक्त रहना पाया गया है जिसके कारण प्रार्थी को शीघ्र न्याय प्राप्त होने की सम्भावना प्रतीत नही होती है। अतः न्यायहित प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिली प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत मुन्तकिली प्रार्थना स्वीकार किया जाकर मुन्तकिली प्रार्थना पत्र से संबंधित वाद संख्या 2/2015 व प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा संख्या 3/2015 उनवानी रामजीलाल बनाम रामफूल को न्यायालय सहायक कलेक्टर मु0 सवाईमाधोपुर से न्यायालय उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर मे सुनवायी हेतु अन्तरित की जाती है। पक्षकारान दिनांक 28.5.2025 को उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के न्यायालय मे उपस्थित होवे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 27.3.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शुभम चौधरी)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2025.06.25 18:09:06 IST
Reason: SelfAttested